BULANDSHAHRPOLICE

दिनांक 22 जनवरी, 2026 — थाना खुर्जा नगर

जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने वाला 25 हजार रुपये का पुरुस्कार घोषित शातिर अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे/निशादेहीं से 01 अवैध पिस्टल व कारतूस, घटना में प्रयुक्त कार बरामद।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बुलन्दशहर श्री दिनेश कुमार सिंह के नेतृत्व में जनपद में अपराधों पर अंकुश लगाये जाने हेतु अपराधियो के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत दिनांक 21/22.01.2026 की रात्रि को थाना खुर्जा नगर पुलिस द्वारा जान से मारने की धमकी देकर फिरौती मांगने में वांछित 25 हजार रुपये के पुरस्कार घोषित शातिर अभियुक्त अंकित तेवतिया को शाहपुर मोड़ से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से 01 पिस्टल मय 02 जिंदा कारतूस व घटना में प्रयुक्त कार बरामद की गयी। गिरफ्तार अभियुक्त थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत मुअसं-1172/25 धारा 308(4) बीएनएस में वांछित चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बुलन्दशहर द्वारा 25,000/- रूपये का पुरस्कार घोषित किया गया था।

अभियुक्त की गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में थाना खुर्जा नगर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 3/25 शस्त्र अधि0 की बढ़ोत्तरी कर अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए अभियुक्त को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा रहा हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. अंकित तेवतिया पुत्र राजवीर तेवतिया निवासी ग्राम शाहपुर कला थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

बरामदगी-

1. 01 अवैध पिस्टल मय 02 जिंदा कारतूस
2. 01 i20 कार (घटना में प्रयुक्त)

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का बदमाश है जिसके द्वारा थाना खुर्जा नगर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम किशवागढ़ी निवासी एक युवक को फोन करके पिस्टल से जान से मारने की धमकी देकर 20 लाख की फिरौती मांगी जा रही थी तथा कार से वादी का बार-बार पीछा किया जा रहा था। इस सम्बन्ध में थाना खुर्जा नगर पर मुअसं-1172/25 धारा 308(4) बीएनएस पंजीकृत है। जिसकी गिरफ्तारी के निरन्तर प्रयास किए जा रहे थे।

गिरफ्तार अभियुक्त अंकित तेवतिया का आपराधिक इतिहास-

1. मुअसं-818/20 धारा 363/376 भादवि व 5एल/6 पोक्सो एक्ट थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
2. मुअसं-828/21 धारा 147/148/149/307/323/427504/506 भादवि थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
3. मुअसं-998/22 धारा 323/324/341/427/504/506 भादवि थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
4. मुअसं-682/2019 धारा 352/504/506 भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर।
5. मुअसं-793/21 धारा 147/148/149/216/302/307 भादवि थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर।
6. मुअसं-298/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर।
7. मुअसं-1095/25 धारा 351(2) बीएनएस थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।
8. मुअसं-1172/25 धारा 308(4) बीएनएस थाना खुर्जा नगर जनपद बुलन्दशहर।

गिरफ्तार करने वाली थाना खुर्जा नगर पुलिस टीम-

1. श्री धर्मेन्द्र सिंह प्रभारी निरीक्षक थाना खुर्जा नगर।
2. उ0नि0 हिमांशू चौधरी, उ0नि0 राजीव चौहान
3. हे0का0 निरोत्तम सिंह, है0का0 रोबिन सिंह, है0का0 जितेन्द्र सिंह, का0 कृष्ण कान्त, का0 पवन कुमार।

स्वाट टीम देहात-

1. श्री सोहनवीर सोलंकी प्रभारी स्वाट टीम देहात।
2. है0का0 नेत्रपाल राणा, है0का0 अरुण कुमार, है0का0 कुल्दीप सिंह, है0का0 अमित कुमार, का0 विपिन, का0 आकाश कुमार, का0 अजय सोलंकी, का0 आसु धामा, का0 नदीम, का0 मनीष, का0 इनाम।

मीडिया सैल बुलन्दशहर ।